प्रकरण संख्या 26 / 18 2018 / 00105 ता0रजू 20.12.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया, आई.ए.एस.

उनवान

महेश चंद बंसल पुत्र रामनारायण उम्र 60 साल जाति महाजन निवासी सत्यवती विहार कॉलोनी, करौली तहसील व जिला करौली — अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील करौली — प्रत्यर्थी

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार तहसील करौली दिनांक 30.11.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम महेश चंद बंसल मु0नं. 231 / 18

निर्णय

दिनांक–26.06.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वकील अपीलाण्ट द्वारा अपीलाण्ट की ओर से यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है और लायक मंसूख है। अदालत मातहत ने अपीलाण्ट को जबाबदेही एवं सबूत सफाई प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर ना देकर निर्णय करने में भूल की है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का का बयान लेखबद्ध न कर निर्णय करने में भूल की है। मौका रिपोर्ट एवं जमाबंदी प्रदर्श कराये बिना कानूनन पढा नहीं जा सकता जबकि अदालत मातहत ने उक्त दस्तावेज को पढ़ कर उक्त दस्तावेज के आधार पर निर्णय करने में कानूनी भूल की है। विवादित भूमि नगरपरिषद क्षेत्र करौली में होने से अदालत मातहत को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। खसरा नम्बर 5322 में अपीलाण्ट का कोई अतिक्रमण न होते हुये भी अतिक्रमी मानने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। आराजी खसरा नं0 5321 में से उसके खातेदारान से अपीलाण्ट की पत्नि द्वारा भू–खण्ड क्रय कर अपीलाण्ट की पत्नि ने ही निर्माण करवाया है। अपीलाण्ट की पत्नि को पक्षकार बनाये बिना तहसीलदार करौली ने गलत निर्णय किया है जबकि इस तथ्य बाबत् प्रारम्भिक आपत्ति अपीलाण्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की थी। कानूनन प्रारंभिक आपत्ति को सुने बिना और प्रारम्भिक आपत्ति पर आदेश किये बिना ही निर्णय करने में भूल की है। खसरा नं0 5322, 5323 व 5321 का मौके पर कोई सीमांकन नही है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ अदालत में सीमाज्ञान कराये जाने बाबत् आपत्ति में भी निवेदन किया था लेकिन अदालत मातहत द्वारा सीमाज्ञान न कराकर निर्णय करने मे भूल की है। आदेशिका दिनांक 0211.2018 की पालना में अपीलाण्ट को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा कर निर्णय करने में भूल की है। पत्रावली को दिनांक 16.11.2018 को पूरक प्रत्यूत्त एवं बहस हेतु दिनांक 26.11.2018 नियत की थी तथा निर्णय में भी 26.11.2018 नियत कर दी थी दिनांक 26.11.2018 को पीठासीन अधिकारी चुनाव में व्यस्त थें। दिनांक 30.11.2018 को बिना बहस सुने एवं बिना प्रत्युत्तर लिये उक्त पत्रावली का मनमानी पूर्ण तरीके से निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है और अदालत मातहत द्वारा किया गया निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अदालत मातहत ने डी.एल.सी. दर से और अवैध निर्माण की कीमत कुल 51,54,738 रूपये मॉग कायमी करने में कानून के प्रावधानो को मध्य नजर ना रखते हुये निर्णय

जिला कलक्टर
करौली

मनमर्जी से पारित किया है जबकि धारा 91 एल.आर.एक्ट में सिर्फ लगान के आधार पर ही पेनल्टी कायम की जा सकती है। निर्णय में धारा 91 के प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है जो हर हाल में अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील, अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट का बहस में कथन है कि अदालत मातहत ने अपीलाण्ट को जवाबदेही एवं सबूत सफाई प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का का बयान लेखबद्ध नहीं किया। मौका रिपोर्ट एवं जमाबंदी प्रदर्श कराये बिना कानूनन पढा नहीं जा सकता जबकि अदालत मातहत ने उक्त दस्तावेज को पढ़ कर उक्त दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित कर दिया। विवादित भूमि नगरपरिषद क्षेत्र करौली में होने से अदालत मातहत को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। खसरा नम्बर 5322 में अपीलाण्ट का कोई अतिक्रमण न होते हुये भी अतिक्रमी मानने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। आराजी खसरा नं0 5321 में से उसके खातेदारान से अपीलाण्ट की पत्नि द्वारा भू–खण्ड क्रय कर अपीलाण्ट की पत्नि ने ही निर्माण करवाया है। अपीलाण्ट की पत्नि को पक्षकार बनाये बिना तहसीलदार करौली ने गलत निर्णय किया है जबकि इस तथ्य बाबत् प्रारम्भिक आपत्ति अपीलाण्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की थी। कानूनन प्रारंभिक आपत्ति को सुने बिना और प्रारम्भिक आपत्ति पर आदेश किये बिना ही निर्णय करने में भूल की है। खसरा नं0 5322, 5323 व 5321 का मौके पर कोई सीमांकन नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ अदालत में सीमाज्ञान कराये जाने बाबत् आपत्ति में भी निवेदन किया था लेकिन अदालत मातहत द्वारा सीमाज्ञान न कराकर निर्णय करने मे भूल की है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.05.2018 के मद नं. 3 में भी अतिक्रमण को अनुमानित बताया गया है। साथ ही मद नं. 4 में स्पष्ट उल्लेख है कि NH-11B के लिए अवाप्त भूमि का आदेश एवं नक्शा प्लान प्राप्त नहीं होने के कारण चौड़ाई की माप संभव नहीं है। केवल अनुमानित आधार पर ही सीमाज्ञान किया गया है। तहसीलदार द्वारा किसी मुश्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान नहीं किया गया है। अतिक्रमण की माप को लगभग बताया है। आदेशिका दिनांक 0211.2018 की पालना में अपीलाण्ट को दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा कर निर्णय करने में भूल की है। पत्रावली को दिनांक 16.11.2018 को पूरक प्रत्युत्तर एवं बहस हेतु दिनांक 26.11.2018 नियत की थी तथा निर्णय में भी 26.11.2018 नियत कर दी थी दिनांक 26.11.2018 को पीठासीन अधिकारी चुनाव में व्यस्त थें। दिनांक 30.11.2018 को बिना बहस सुने एवं बिना प्रत्युत्तर लिये उक्त पत्रावली का मनमानी पूर्ण तरीके से निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है। अदालत मातहत ने डी.एल.सी. दर से और अवैध निर्माण की कीमत कुल 51,54,738 रूपये मॉग कायमी करने में कानून के प्रावधानों को मध्ये नजर ना रखते हुये निर्णय मनमर्जी से पारित किया है जबकि धारा 91 एल.आर.एक्ट में सिर्फ लगान के आधार पर ही पेनल्टी कायम की जा सकती है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

जिला कलक्टर
करौली

रेस्पोण्डेण्ट ने बहस में कथन किया है कि विवादित भूमि का दिनांक 27.05.2018 व 21.10.2018 को सीमाज्ञान किया गया है। अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत विधि सम्मत् एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। खसरा नं. 5322 व 5323 बाके कस्बा करौली–9 के संबंध में रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 27.05.2018 के मद नं. 3 में अतिक्रमण को अनुमानित तथा मद नं. 4 में NH-11B के लिए अवाप्त भूमि का आदेश एवं नक्शा प्लान प्राप्त नहीं होने के कारण चौड़ाई की माप संभव नहीं होना बताया है। इस प्रकार दिनांक 27.05.2018 व 21.10.2018 को किसी मुश्तकिल बिन्दु से नहीं किया गया है एवं अतिक्रमण की माप को लगभग बताया है। NH-11B के लिए उक्त खसरा नंबरान में से अवाप्त की गई भूमि के संबंध में तहसीलदार करौली द्वारा भी अपने विवेचन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार NH-11B के लिए अवाप्त भूमि का रकबा उक्त खसरा नंबरान की भूमि में से कम किया जाकर किसी मुश्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान किये जाने के उपरांत ही अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। केवल अनुमान के आधार सीमाज्ञान किया जाकर किसी को अतिक्रमी नहीं ठहराया जा सकता। अतः मुश्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान कराये जाने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अस्तु अपील, अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली का जैर अपील आदेश दिनांक 30.11.2018 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह खसरा नं. 5322 व 5323 बाके कस्बा करौली–9 का मुश्तकिल(स्थाई) बिन्दु से सीमाज्ञान करके अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
करौली